12.3.25

अभियुक्तगण / [illegible] एम.वी. एक्ट
का अपराध धारा U/S 212 RT Act स्वीकार
किया जाता है, जिसका निर्णय पृथक से
लिखा जाकर हस्ता. दिना. किया गया।

अभियुक्त से अर्थदण्ड वसूल किया जाकर बाद
[illegible] रिकार्ड संधारण हो।

निर्णय आज दि 12.3.25 को खुले न्यायालय
में मेरे द्वारा लिखा जाकर सुनाया गया।

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय बइजलास श्रीमती सपना कुमारी (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 28 / 2023

तारीख दायरा 18.08.2023

उनवान

दिनेश कुमार दत्तक पुत्र श्री मांगीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम किशनपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा।

– प्रार्थी

बनाम

1. पार्वती बाई पत्नि श्री मांगीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम किशनपुरा।
2. अनीता मालव पत्निश्री कृष्णमुरारी जाति धाकड निवासी कस्बा कैथून।
3. राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार साँगोद तहसील सांगोद।

– अप्रार्थीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 53, 54 188 आर. टी. एक्ट 1955 के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर. टी. एक्ट

उपस्थित :–

दिनांक :– 12.3.2025

श्री सत्येन्द्र कुमार गुप्ता (वकील प्रार्थी)

श्री बाबूलाल नागर (अप्रार्थी सं.1 ता 2)

—निर्णय—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण के शामलाती खाते एंव कब्जे काश्त की निम्न लिखित आराजी ग्राम किशनपुरा तहसील सांगोद के माल में स्थित है –

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा
72	183	0.60 हैक्टर
	184	1.60 हैक्टर
	185	1.37 हैक्टर
	428	1.66 हैक्टर
	510	0.41 हैक्टर
	512	0.40 हैक्टर
	513	0.07 हैक्टर
	514	0.95 हैक्टर
	712	0.01 हैक्टर
	731	0.16 हैक्टर
	732	0.26 हैक्टर
	733	0.02 हैक्टर
	734	0.02 हैक्टर
	799	0.22 हैक्टर
	804	0.29 हैक्टर
	839	0.96 हैक्टर
	898	1.77 हैक्टर
	968	2.58 हैक्टर

कुल 18 किता की 13.15 हैक्टर आराजी

खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा
71	35	0.91 हैक्टर

यह कि राजस्व रेकार्ड में खाता संख्या 72 में वादी का 1/6 हिस्सा दर्ज है, तथा खाता संख्या 71 में भी प्रार्थी का 1/6 हिस्सा दर्ज है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी में प्रार्थी के गोद पिता मांगीलाल का राजस्व रेकार्ड में 1/4 हिस्सा दर्ज था। मांगीलाल जी की मृत्यु दिनांक 06.01.2016 को ग्राम किशनपुरा में हुई। मांगीलाल जी ने कान्ती बाई से विवाह किया तथा मांगीलाल जी के कान्ती बाई से कोई संतान पैदा नहीं हुई, कान्ती बाई मांगीलाल की मृत्यू तक उनकी वैवाहिक पत्नि रही, मांगीलाल जी एंव कान्ती बाई के कोई संतान नही होने से मांगीलाल जी एंव कान्ती बाई ने प्रार्थी को बचपन में ही जाति की रस्म रिवाज मुताबिक गोद लिया था। प्रार्थी मांगीलाल जी एंव कान्ती बाई के गोद पुत्र के रूप में उनकी सेवा, सुश्रुषा करता रहा है तथा मांगीलाल जी के जीवनकाल में भी मांगीलाल जी की सम्पूर्ण कृषि भूमि को काश्त करता रहा है तथा उनकी मृत्यु के समय भी उनकी सम्पूर्ण क्रियाकर्म प्रार्थी ने किये तथा पगडी भी समाज एवं रिश्तेदारों ने प्रार्थी को बंधवाई थी।

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

प्रार्थी के पिता मांगीलाल जी की मृत्यु के समय उनकी वैवाहिक पत्नि कान्ती बाई जिन्दा थी तथा कान्ती को मांगीलाल जी ने कभी भी तलाक नही दिया तथा तलाक दिये बगेर अवैध रूप से कहीं दूसरी जगह शादीशुदा पार्वती जिसके पूर्व पति से अनिता नाम की पुत्री भी उसको नाते लाकर अपने नाम पत्नि के रूप में रख लिया। हिन्दु विवाह अधिनियम के तहत पार्वती से विवाह अवैध था तथा कानून में उसको कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होते है तथा मांगीलाल जी की सम्पत्ति में भी पार्वती बाई को कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होते है। उसके बाद भी राजस्व कर्मचारियों से मिलकर मांगीलाल जी की मृत्यु के बाद पार्वती बाई ने उनके 1/4 हिस्से में कान्ती बाई एंव प्रार्थी के साथ-साथ अपना नाम भी राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवा लिया तथा दिनांक 08.11.2016 को नामान्तरण संख्या 581 में मांगीलाल जी की 1/4 भूमि में कान्ती बाई एंव प्रार्थी के साथ-साथ अपना नाम भी 1/12 हिस्से में दर्ज करवा लिया। कानूनन हिन्दु विवाह अधिनियम के तहत एक पत्नि होते हुये दूसरी पत्नि बिना पहले वाली पत्नि को तलाक दिये नही लाया जा सकता था। जब पार्वती बाई के साथ मांगीलाल जी का विवाह ही नहीं हुआ तथा दूसरी पत्नि के रूप में हिन्दु विवाह अधिनियम के तहत अवैध पत्नि के रूप में रही। ऐसी स्थिति में उनकी पत्नि के आधार पर प्राप्त 1/12 हिस्से की आराजी तक उक्त इन्तकाल अवैध एंव प्रभावशून्य है तथा उक्त अवैध इन्तकाल के आधार पर पार्वती बाई को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होते है। प्रार्थी एवं उनकी वैवाहिक पत्नि कान्ती बाई मांगीलाल जी के हिस्से की 1/4 आराजी में बांट बराबर से आराजी प्राप्त करने के अधिकारी थे तथा प्रार्थी का 1/8 हिस्सा तथा कान्ती बाई का 1/8 हिस्सा उक्त वर्णित आराजी में बनता था तथा कान्ती बाई की मृत्यु होने के बाद प्रार्थी मांगीलाल जी की सम्पूर्ण आराजी का गोद पुत्र होने से मालिक हो गया तथा राजस्व रेकार्ड में मांगीलाल जी के हिस्से में 1/4 आराजी की अपने हक में घोषणा करवाकर आराजी का अन्य सहखातेदारान से बंटवारा करवाने का अधिकारी है, क्योंकि आराजी मांगीलाल जी के जीवनकाल में प्रार्थी की काश्त करता चला आ रहा है, ऐसी स्थिति में पार्वती बाई का विवादित आराजी कि किसी भी भू-भाग पर कभी कोई कब्जा नहीं रहा है।

प्रार्थी विवादित आराजी में मांगीलाल जी एंव कान्ती बाई की मृत्यु हो जाने से उनके हिस्से की 1/4 भूमि आराजी प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी ने पार्वती बाई एवं राजस्व कर्मचारियों से प्रार्थी के नाम 1/4 आराजी दर्ज करने की कहा परन्तु न तो पार्वती बाई आराजी दर्ज करने को तैयार हुई और न ही राजस्व कर्मचारियों ने आरजी दर्ज की तथा पार्वती बाई ने दिनांक 30.06.2023 को अनिता पत्नि श्री कृष्णमुरारी नाम की लड़की के दान पत्र अपने नाम होने का फायदा उठाकर रजिस्टर्ड करवा दिया, जबकि अनिता के पिता का

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

उपखण्ड तो मांगीलाल था न ही अनिता मांगीलाल की पुत्री है तथा अनिता एक दान पत्र के आधार पर आराजी का नामान्तरण अपने नाम दर्ज करवाने हेतु प्रयासरत है। यदि ऐसा कर दिया तो आराजी अन्य जगह हस्तान्तरण कर देगी, जिससे और अधिक मुकदमेबाजी बढ़ जायेगी। प्रार्थी का महत्वपूर्ण प्रथम दृष्टया केस है तथा सुविधा का संतुलन भी वादकरता वाद विवादित आराजी के रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने में ही है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी के हक में एवं अप्रार्थीगण के विरुद्ध निम्न आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि विवादित आराजी में पार्वती बाई द्वारा किये गये हस्तान्तरण के आधार पर अनिता का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं करे तथा राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। साथ ही इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा भी जारी फरमाई जावे कि विवादित आराजी पर प्रार्थी को काश्त करने में बाधा उत्पन्न नहीं करे, उक्त कृत्य न तो अप्रार्थीगण स्वयं करें और ना ही अपने किसी नौकर, एजेन्ट आदि से करावें।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी सं. 1 ता 3 की तलबी हो चुकी है। अप्रार्थी न0 1 ता 2 की ओर से अधिवक्ता बाबूलाल नागर द्वारा वकालतनामा एवं जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य निम्न प्रकार हैं—

मांगीलाल ने अपने जीवन काल में पार्वती बाई से समाज के रीति रिवाज मुताबिक विवाह किया था, जिसमें विवाह की सम्पूर्ण रस्म आयोजन के साथ ही पार्वती बाई को जीवन संगिनी पत्नि के रूप में निवास करती चली आ रही है. जिसके एक पुत्री भी है. जिसका नाम अनिता है। जिसका पालन पोषण, विवाह एंव समस्त सामाजिक कार्य पार्वती बाई एंव पति मांगीलाल ने ग्राम किशनपुरा में ही किये है। प्रार्थी ने इस चरण में वास्तविक तथ्यों को छिपाकर मात्र मांगीलाल एवं कांति बाई का ही वर्णन किया है, जबकि इनके साथ विवाहिता पत्नि पार्वती बाई भी मांगीलाल की विवाहिता पत्नि के रूप में परिवार में शामिल ह व इसकी पुत्री अनिता बाई भी मांगीलाल एंव पार्वती बाई की ही है, जिसको परिवार में शामिल होने से इनका वर्णन भी प्रार्थना पत्र के इस चरण में किया जाना आवश्यक है। मांगीलाल के जीवनकाल में पार्वती बाई ने बतौर पत्नि पूर्ण रूप से साथ दिया है एवं मांगीलाल की मृत्यु उपरान्त उसके सम्पूर्ण सामाजिक एवं धार्मिक क्रियाकर्म में पूर्ण रूप से भागीदारी निभाई है एंव आज तक निभाती चली आ रही है। परन्तु पार्वती के पति मांगीलाल की मृत्यु उपरान्त प्रार्थी जो अपने आप को कथित दत्तक पुत्र मानता है, ने अपनी माता पार्वती बाई से लड़ाई झगड़ा करके गाली–गलौच करके घर से निकाल दिया है एंव कथित दत्तक पुत्र के निर्वहन का पालन नहीं कर रहा है, जिससे अपने दत्तक पुत्र होने का अधिकार खो चुका है। प्रार्थी का

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

दत्तक पुत्र मांगीलाल की सम्पत्ति पर है एंव उनकी कृषि भूमि को हड़पना चाहता है, जिसके लिये प्रार्थी ने न्यायालय में बनावटी एंव झूठा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिसके आधार पर प्रार्थी न्यायालय से किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

अप्रार्थी पार्वती बाई मांगीलाल की विवाहिता पत्नि है, जिसके अप्रार्थी कम 2 अनिता बाई मांगीलाल जी की पुत्री है, अनिता बाई का विवाह भी पिता मांगीलाल एंव माता पार्वती बाई एंव कांति बाई सभी ने मिलकर किया है। मांगीलाल जी की मृत्यु दिनांक 06.01. 2016 को हो जाने पर प्रार्थी ने मृतक मांगीलाल का फौती इंतकाल खोलने के लिये तहसीलदार सांगोद के यहां प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर तहसीलदार सांगोद ने हलका पटवारी एंव ग्राम वासियों से सम्पूर्ण जांच पड़ताल करके दिनांक 28.07.2016 को निर्णय पारित करते हुये आदेश दिया कि मृतक खातेदार की दोनों पत्नियों एंव दत्तक पुत्र दिनेश कुमार के नाम बांट बराबर से नामान्तरण दर्ज किया जायें, जिसमें प्रार्थी ने भी तहसीलदार जी के समक्ष पूर्ण रूप से सहमति जाहिर की है। उक्त निर्णय की पालना करने के लिये तहसीलदार सांगोद ने हलका पटवारी के नाम निर्देश जारी किया, जिस पर हलका पटवारी किशनपुरा ने दिनांक 18.08.2021 को ग्राम किशनपुरा में मजमा आम लगाकर जांच पड़ताल कर मांगीलाल जी का फौती इंतकाल दिनेश कुमार, कांति बाई एंव पार्वती बाई के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये है। उक्त कार्यवाही में मुकेश पुत्र श्री बृजमोहन धाकड़, रविन्द्र कुमार पुत्र श्री रामस्वरूप, हरिप्रसाद पुत्र श्री बद्रीलाल, बलराम पुत्र श्री मथुरालाल इत्यादि गांव के मोतबीरान गांव के संभ्रान्त नागरिकों की मौजूदगी में उक्त नामान्तरण की कार्यवाही हलका पटवारी द्वारा की गई है, जिससे राजस्व कर्मचारियों द्वारा उक्त नामान्तरण दर्ज करने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की गई है। सम्पूर्ण रूप से जांच पड़ताल करके मृतक मांगीलाल का फौती इंतकाल राजस्व कर्मचारियों द्वारा दर्ज किया गया है, जिसमें हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की अवहेलना नहीं की गई है। उक्त संबंध में जांच पड़ताल कर प्रार्थी एंव अप्रार्थी कम 1 व 2 एंव अन्य गवाहान से सुनवाई जांच पड़ताल कर तहसीलदार सांगोद द्वारा निर्णय पारित किया गया है, जिसमें प्रार्थी ने भी सहमति प्रदान की है। प्रार्थी अपने आप को मृतक मांगीलाल का दत्तक पुत्र मानता है, जिसके आधार पर मांगीलाल के फौती इंतकाल में प्रार्थी एंव प्रार्थी की दोनो माता कांति बाई एंव पार्वती बाई का नाम दर्ज किया है। चूंकि कांति बाई मांगीलाल की नाता विवाहिता प्रकार का सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नही है, कांति बाई के हिस्से की कृषि भूमि का इन्तकाल प्रार्थी ने अपने पक्ष में खुलवा लिया है, अप्रार्थी पार्वती बाई का उक्त आराजी में निहित हिस्से पर कब्जा चला आ रहा है, जिसको अप्रार्थी पार्वती बाई काश्त कर फसल का उपयोग उपभोग करती चली आ रही है एंव विवादग्रस्त आराजीयात में अप्रार्थी पार्वती बाई

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

सहखातेदार है। ऐसी स्थिति में कब्जे काश्त बाबत प्रार्थना पत्र में प्रश्न उठाया जाना कानूनन न्यायसंगत नहीं है।

मृतक खातेदार मांगीलाल जी की विवादग्रस्त आराजीयात में राजस्व कर्मचारियों ने फौती नामान्तरण खोलकर मांगीलाल जी के हिस्से में प्रार्थी एवं अप्रार्थी कम 1 एंव मृतक कांति बाई के नाम से वारिसान का नामान्तरण तस्दीक किया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नही है एंव उक्त नामान्तरण तहसीलदार सांगोद के आदेश से निर्णय पारित कर खोला गया है, जिसमें प्रार्थी ने भी पूर्ण रूप से अपी सहमति प्रदान की है। अप्रार्थी सं. 2 अनिता बाई भी मांगीलाल जी की पुत्री होने से इन्होंने ही इसका विवाह संस्कार पूर्ण करवाया है, जिसमें पूरे परिवार के लोग शामिल रहे है, प्रार्थी दिनेश कुमार ने जो कथित गोदनामा अपने हक में पंजीयन करवाया है, उसमें अप्रार्थी कम 1 माता की जीवनभर सेवा सुश्रुषा देखभाल करने की बात तय की गई है, जिसकी पालना प्रार्थी नहीं कर रहा है, प्रार्थी ने माता पार्वती बाई को लडाई–झगड़ा करके घर से निकाल दिया है, जो वर्तमान में पुत्री अनिता बाई के घर पर जीवन व्यतित कर रही है. एंव अप्रार्थी कम 2 अनिता बाई को भी गोदनामें में बहिन माना गया है, जिसकी भी प्रार्थी बहिन होने का कोई फर्ज अदा नहीं कर रहा है। उसके यहां आना जाना बंद कर रखा है, जिससे प्रार्थी कथित गोदनामें के आधार पर कोई सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। इस प्रकार प्रार्थी ने अपनी माता पार्वती बाई को घर से लडाई झगडा करके निकाल देने से पार्वती बाई पुत्री अनिता बाई के घर पर जीवन व्यतित करने से पार्वती बाई ने विवादग्रस्त आराजी में निहित 1/12 हिस्से का दान पत्र पुत्री अनिता बाई के नाम दिनांक 30.06.2023 को रजिस्टर्ड करवा दिया है, जिसमें प्रार्थी को आपत्ति करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी को किसी प्रकार की क्षति होने की संभावना नहीं है, प्रार्थी मृतक खातेदार मांगीलाल जी की आराजी में अपना हिस्सा प्राप्त कर चुका है एंव शेष बची आराजी में प्रार्थी को किसी प्रकार का हक प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त नहीं है, खातेदार पार्वती बाई को अपनी हिस्से की कृषि भूमि को अपनी पुत्री अनिता बाई को दान पत्र करने का सम्पूर्ण अधिकार हांसिल होने से पुत्री के नाम दान की है। दान पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये दस्तावेज में अनिता बाई के पिता का नाम मांगीलाल दर्ज है, जिसके आधार पर पंजीयन अधिकारी ने दान पत्र पंजीयन किया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नही है। दान पत्र के आधार पर अनिता बाई के नाम नामान्तरण तस्दीक हो जाने से प्रार्थी को किसी प्रकार की हानि होने की संभावना नहीं है, क्योंकि प्रार्थी मांगीलाल की कृषि भूमि में उसका सम्पूर्ण हिस्सा प्राप्त कर चुका है, शेष आराजी में पार्वती बाई खातेदार होने से उसने अपनी पुत्री के नाम दान पत्र किया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। यदि इस स्टेज पर पार्वती बाई

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

के द्वारा किये गये दान पत्र का नामान्तरण रोक दिया जाता है तो पार्वती बाई एंव अनिता बाई को अपूर्णीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है, जिसकी पूर्ति भविष्य में होना नितांत असंभव होगी। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया प्रकरण भी नहीं बनता है, सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में विद्यमान नहीं है, न ही प्रार्थी को किसी प्रकार की अपरिमित क्षति होने की संभावना है। प्रार्थी ने मात्र कृषि भूमि प्राप्त करने के लालच पर न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

इसके उपरान्त पत्रावली बहस में नियत की गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया तथा अपनी बहस के समर्थन में नजीर कमला देवी बनाम मणीराम 2024(1) DNJ (Rev.) पेज सं. 209, कैलाश बनाम धर्मेन्द्र 2024(2) DNJ (Rev.) पेज सं. 1377, कमला देवी बनाम मनीषा जैन 2024(1) DNJ (Rev.) पेज सं. 371 प्रस्तुत की गई। साथ ही प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा माननीय न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सांगोद के प्रकरण राजस्थान राज्य सरकार जरिये ए.पी.ओ. बनाम बृजमोहन वगै. में पारित निर्णय दिनांक 23.01.2024 की प्रति प्रस्तुत की गई।

अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया गया। था अपनी बहस के समर्थन में नजीर रामकिशन वगै. बनाम उमा वगै. RRT 2018-19(Supp.) पेज सं. 497, नसीब कौर बनाम रामेश्वरी देवी RBJ(23) 2016 पेज सं. 245 पेश की गई।

मेरे द्वारा बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.सी.पी के अनुसार अस्थाई निषेधाज्ञा के लिए निम्न लिखित तीन शर्तों की पालना आवश्यक है –

1. क्या प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला है ?
2. क्या सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है ?
3. क्या प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी ?

(क) क्या प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला है ?

प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य उस मामले से है जिसमें उसके समर्थन में दी गई साक्ष्य पर विश्वास किया जा सके अर्थात मामले में ठोस व मजबूत रूप से स्थापित हुआ कहा जा सके। इस प्रकार ऐसा मामला जिसे यदि, विरोधी पक्ष खण्डित नहीं कर सके तो ऐसे मामले को प्रथम दृष्टया मामला माना जायेगा। कोई मामला प्रथम दृष्टया है अथवा नहीं, इसको सिद्ध करने का भार प्रार्थी पर होता है। वह शपथ पत्र या साक्ष्य द्वारा यह साबित करे कि उसके हक में प्रथम दृष्टया मामला है।

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण विवादित आराजी के रेकार्डेड खातेदार हैं तथा प्रकरण में पार्वती बाई मृतक मांगीलाल की कानूनन पत्नि है अथवा नहीं तथा अनिता बाई मांगीलाल की विधिक वारिस है अथवा नहीं इसका निर्णय दावे में तनकीवार साक्ष्य ली जाकर ही संभव है। इस कारण वर्तमान में प्रकरण प्रार्थी के लिए प्रथम दृष्टया माना जा सकता है।

(ख) क्या सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है ?

अस्थाई निषेधाज्ञा चाहने वाले पक्षकार को सुविधा का संतुलन अपने पक्ष में होना बताना होगा। इसके लिए प्रार्थी द्वारा जिस सुविधा का लाभ चाहा गया है उसका स्वयं विवादित आराजी पर काबिज होना आवश्यक है। साथ ही प्रार्थी को दी जाने वाली सुविधा से अप्रार्थीगण को कोई विधिसंगत असुविधा भी नहीं होनी चाहिए।

प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी एवं अप्रार्थी विवादित आराजी के रेकार्डेड खातेदार हैं तथा विवादित आराजी पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण दोनों पक्षों द्वारा स्वयं का कब्जा होना व्यक्त किया गया है। माननीय न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सांगोद के प्रकरण राजस्थान राज्य सरकार जरिये ए.पी.ओ. बनाम बृजमोहन वगै. में पारित निर्णय दिनांक 23.01.2024 में वर्णित तथ्यों अनुसार अप्रार्थीगण का विवादित आराजी पर कब्जा रहा हो यह साबित नहीं है। इस कारण वर्तमान में सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रबल है। कब्जे का निर्धारण दावे में तनकीवार साक्ष्य ली जाकर ही संभव है।

(ग) क्या प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी ?

किसी भी प्रकरण में प्रार्थी को अपने खाते व कब्जे काश्त की आराजी पर होने वाली हानि से ऐसी क्षति हो जाये जिसकी पूर्ति भविष्य में होना संभावित नहीं हो और प्रार्थी को अनेक मानसिक व आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़े तो इस प्रकार का नुकसान प्रार्थी के लिए अपूरणीय क्षति होगा।

हस्तगत प्रकरण में विवादित आराजी में से पार्वती बाई द्वारा 1/12 हिस्सा दिनांक 30.06.2023 को ही अनिता पत्नि श्री कृष्णमुरारी के रजिस्टर्ड दान पत्र के माध्यम से दान कर दिया गया है जिसका नामान्तरण अप्रार्थीगण अपने पक्ष में खुलवाना चाहते हैं। हस्तगत प्रकरण में मृतक मांगीलाल के विधिक वारिसान का निर्धारण प्रकरण में तनकीवार साक्ष्य ली जाकर ही संभव है। इस स्तर पर विवादित आराजी अन्यत्र हस्तान्तरण हो जाती है तो प्रकरण में वाद बहुलता की बढ़ जायेगी। ऐसी स्थिति में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है।

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

:- आदेश :-

उपरोक्तानुसार आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. के अनुसार नियत निर्धारित शर्तों बाबत किये गये उपरोक्त समस्त विवेचन, अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस के कथनों पर मनन करने और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का उनके गुणावगुण के आधार पर अधोपांत अवलोकन अध्ययन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि पार्वती बाई मृतक मांगीलाल की कानूनन पत्नि है अथवा नहीं तथा अनिता बाई मांगीलाल की विधिक वारिस है अथवा नहीं, विवादित आराजी पर प्रार्थी का कब्जा है अथवा अप्रार्थीगण का, उक्त तथ्यों का निर्णय दावे में तनकीवार साक्ष्य ली जाकर ही संभव है। विवादित आराजी अन्यत्र हस्तान्तरण हो जाती है तो प्रकरण में वाद बहुलता की बढ जायेगी। प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनने, सुविधा संतुलन प्रार्थी के पक्ष में होने तथा प्रार्थी को अपूरणीय क्षति की संभावना होने के कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाना योग्य पाया जाता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि :-

प्रार्थी एवं प्रार्थीगण सं. 1 ता 3 को जरिये तार्फैसला मूद वाद अंतरिम स्थाई निषेधाज्ञा जारी कर पावन्द किया जाता है कि माल ग्राम किशनपुरा पटवार हलका किशनपुरा तहसील सांगोद में खाता सं. 72 की कुल 16 खसरान की 13.15 है. आराजी एवं खाता सं. 71 की कुल 1 खसरान की 0.91 है. आराजी आराजी पर राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथा स्थिति बनाए रखे। उक्त कृत्य न तो स्वयं करें और ना ही अपने किसी नौकर, ऐजेन्ट आदि से करावें।

(सपना कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 12.3.2025 को खुले न्यायालय मे मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सपना कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद